उत्तर प्रदेश शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3
संख्या–एम–7782 / 32–3–2010–59 / 2008
लखनऊः दिनांकः 5 जुलाई, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त अतिथिगृहों में अतिथियों / संबंधित व्यक्तियों द्वारा दो से अधिक कक्ष की मांग की जाती है जिससे सभी अतिथियों को कक्ष उपलब्ध कराये जाने में होने वाली कठिनाईयों एवं कक्ष आवंटन की उत्तरोत्तर बढी मांग को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश दिये जाते हैः–

1 02 से अधिक कक्ष की मांग होने पर संबंधित व्यक्ति से कक्ष किराया पूर्व में जमा कराया जाये। कक्ष उपयोग उनके द्वारा न किये जाने पर जमा की गयी धनराशि वापस न करके राजकोष में जमा कराई जाये।

2 02 से अधिक कक्ष इस प्रतिबन्ध के साथ आरक्षित किये जाय कि आवश्यकता होने पर यह आरक्षण बगैर कोई कारण बताये निरस्त / रद्द भी किया जा सकता है और जमा की गयी अग्रिम धनराशि संबंधित अतिथि / व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

3 02 से अधिक कक्षों की मांग पर 30 दिन पूर्व से आबंटन न किया जाय।

उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

शैलेश कुमार सिंह
विशेष सचिव राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्या–एम–7782(1) / 32–3–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–उक्त की प्रति मुख्य व्यवस्थाधिकारी / व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त अतिथिगृह, लखनऊ, दिल्ली एवं कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(जे० पी० शर्मा)
संयुक्त सचिव।